

प्रकरण संख्या 178/2017

वनवारी/पारीक

बनाम जगदीश कर्मा

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 18/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री वनवारी शंकेलाल पारीक मामुडा ने जरिये श्री - अजय कुमार ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम गणेशपुरा तह0 मानपुरा माण्डलगढ में

स्वत्व' क्र 20 थाप 3338/529 3339/529

कितता 2 रकबा 5 बीघा विस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण अजय कुमार को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान करने साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अजय कुमार की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से पत्रावली आराजीयात का खातेदार / गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसीयान के विवाद का शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत इन्फार्मेशन है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0 स्वीकार किया गया। ग्राम गणेशपुरा की आराजी न0 3338/529 3339/529 रकबा 2 रकबा 5 बीघा खसरा-20 विस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर निवृत्त किया गया। कमीशनर फीस 250 / रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौंडे जर उक्त पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 / रूपये राजकोष मे जमा होने पर पत्थरगढी माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी